

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक: एफ-21-149 / 2010 / बी-1 / दो,

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई, 2010

प्रति,

- ✓ 1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (समस्त)
2. पुलिस अधीक्षक (समस्त)

विषय: राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही।

1. हाल ही में शासन के ध्यान में ऐसे कुछ मामले आए हैं जिनमें राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध स्थानीय स्तर पर थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई व इसी क्रम में उनकी गिरफ्तारी व अन्य कार्यवाही की गई।
2. राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारियों के संबंध में स्थानीय स्तर पर थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर होने पर निम्नानुसार विधि/शासनादेश के अधीन कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है :—
- (1) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/19-39/93/एक/चार, दिनांक 21 जनवरी 1994 में दिये गये निर्देश (परिशिष्ट 1)।
- (2) न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के अधीन प्राप्त संरक्षण (परिशिष्ट 2)।
3. माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के प्रकरण क्रमांक W.P. 11286/09 एवं W.P. 11338/09 में दिये गये आदेशानुसार शासन द्वारा इस विषय पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति के प्रतिवेदन के आधार पर शासन द्वारा राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश अनुमोदित किये गये हैं —
- (क) यदि कोई राजस्व न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न्यायलयीन प्रकरण सम्बन्धित मामले में गिरफ्तार होता है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला कलेक्टर या राज्य शासन को देनी होगी।
- (ख) इस प्रकार की गिरफ्तारी के तथ्यों से तत्काल जिला कलेक्टर तथा राज्य शासन को अवगत कराया जाएगा।

- (ग) ऐसे राजस्व अधिकारी को उसके परिवार जनों, एवं उनके कानूनी सलाहकार से संवाद की सभी सुविधाएँ प्रदाय की जावेगी।
- (घ) ऐसे अधिकारी का कोई कथन लिपिबद्ध नहीं किया जावेगा, न ही पंचनामा तैयार कराया जाएगा, और न ही ऐसे अधिकारी के स्थारथ्य परीक्षण की कार्यवाही उसके विधि सलाहकार के बिना (या ऐसे राजस्व अधिकारी की उपस्थिति के बिना जो उसके समकक्ष या वरिष्ठ हो) की जाएगी।
4. कृपया तदनुसार क्षेत्रीय अधिकारियों को इन प्रावधानों एवं निर्देशों से अवगत करावें तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न . उपरोक्तानुसार।

(राजनं कटोच)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग

पृ.क्रमांक एफ-21-149/2010/बी-1/दो, भोपाल, दिनांक 29 जुलाई, 2010
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल को उनके पत्र क्र. एफ 6-109/09/सात-4ए दिनांक 3/2/2010 के संबंध में सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल को उनके परिपत्र क्र एम/19-39/93/1/4 दिनांक 31 जनवरी, 1994 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. पुलिस महानिदेशक, म.प्र., पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
4. कमिश्नर, (समर्त) संभाग,
5. जोनल पुलिस महानिरीक्षक (समर्त)।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग

मध्यप्रदेश शासन
समाजसुन्न विभाग

फैला संख्या १८३९/१४

भोपाल, दिनांक ३। नवमी, १९६४.

४१४ प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग,
भोपाल ।

४२५ सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,
भोपाल ।

४३६ सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सिधि और सिधायी कार्य विभाग,
भोपाल ।

४४७ महानिकाय,
नोक अधियोजन मध्यप्रदेश,
भोपाल ।

४५८ समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश ।

४६९ समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

४७० समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश ।

1/ शासन के ध्यान में ऐसे प्रकरण आये हैं, जितमें देखा गया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्णित प्रकरणों में किसी प्रधकार हारा मूलित बाना है वह प्राथमिकी लिखाये जानें पर कि पीठासीन अधिकारी राजस्व अधिकारी ने गलत आदेश दिये हैं, पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीयन कर लिये गये हैं ।

2/ शासन यह स्पष्ट करना चाहेगा कि मध्यप्रदेश में राजस्व अधिकारी की पारा ॥ में वर्णित सभी राजस्व अधिकारीय लोगों उनके बारे

विचारण सर्वे निकाले के दौरान संघिता ली धारा ३। के अंतर्गत उन्हें नियमानुसार का क्षर्म प्राप्त है। जही नई एल्क राजस्व न्यायालय के पीछातीन अधिकारी छलु प्रक्रिया संघिता, १९७३ में धारा २० के अंतर्गत नाम स्टीफलोर/क्लॉन्टोर एवं डिप्टी क्लॉन्टोर, नायेपालिक एंड अधिकारी भी होते हैं सितके तहत उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। राजस्व न्यायालय के निर्णय से पीड़ित पक्षकार को संघिता में वर्पित प्रायमानों के अनुष्ठ पर्ण्य के प्रतिकूल अद्वितीय या पुनरीचय के अधिकार स्पष्टताप्राप्त हैं। ऐती स्थिति में एवं पक्षकार द्वारा तीके पुलिल थाने में प्रायमिकी दर्ज कराने पर राजस्व न्यायालय के पीछातीन अधिकारी ने फिल्ड प्रकरण पंजीयन किये गये, या पक्षकार के इस आरोप के ताथ, कि राजकृष्ण अधिकारी द्वारा जानबूझकर दुभासिनाक्षा या घट्यंत्रपूर्वक या प्रबोधन वश इतके फिल्ड निर्णय पारित किया गया है, प्रायमिकी दर्ज कराने की प्रथा को प्रश्न दिया गया तो राजस्व न्यायालय के पीछातीन अधिकारियों का न केवल मनोबल गिरेगा, बल्कि पूर्वरणों का निराकरण भी कठिन हो जायेगा।

3/ अतएव निर्देशित किया जाता है कि ऐती प्रायमिकियों के आधार पर राजस्व/न्यायिक अधिकारियों के फिल्ड तक तक अवराय प्रकरण पंजीयन में जब तक कि राज्य शासन के ऐसे स्पष्ट आदेश न हों।

4/ शासन के ध्यान में एह भी लाया गया है कि राजस्व निर्णय/आदेश में जहाँ ऐसा पक्षकार नियके फिल्ड यह निर्णय/आदेश हुआ है, एवं अनुचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है, तो उसकी रिपोर्ट पर योग्य अधिकार के उपर्योग के अंतर्गत हरिजन कल्याण थानों में प्रकरण दिना शासन की पुस्तिकृति के पंजीयन किये जाकर, दिना अविषेजन त्वीकृति के द्वी न्यायालयों में प्रत्यक्ष कर दिये जाते हैं। यद्यपि शासन की योग्य दियोग्य अधिनियम के प्रायमानों को नाप्रिय छरने की नहीं है, तथापि राजस्व/न्यायिक अधिकारियों द्वारा निर्णित ऐसे प्रकरणों वे परिष्क्रम हों

(v)

कंडिका ३ के अनुसार वह तुनिशियत किया जाना साहिये । राष्ट्रस्व/न्यायिक
अधिकारियों के लाला पारित न्यायालयीन निर्णय/आदेशों के संदर्भ में प्राप्त
प्राथमिकियों पर धन्दिपत्र के अनुसार कार्यवाही तुनिशियत की जावे ।

अल्लामे फ़ाज़ूल
४ अर्घ्य कोचर ४.१.१९५

उप-सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कामान्द्य प्रशासन विभाग.

Fazal

गोतम//

THE JUDGES (PROTECTION) ACT, 1985

(59 OF 1985)

An Act for securing additional protection for Judges and others acting judicially any for matters connected therewith.

Be it enacted by Parliament in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Section Contents

- 1 Short title and extent.
- 2 Definition.
- 3 Additional protection to Judges.
- 4 Saving.

Short title and extent 1 (1) This Act may be called The Judges (Protection) Act, 1985

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir

- | | |
|--|---|
| Definition | 2 In this Act, "Judge" means not only every person who is officially designated as a Judge, but also every person -
(a) Who is empowered by law to give in any legal proceeding a definitive judgment, or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive; or
(b) who is one of a body of persons which body of persons is empowered by law to give such a judgment as is referred to in Cl (a) |
| Additional protection to Judges | 3 (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and subject to the provisions of sub-sec.(2), no Court shall entertain or continue any civil or criminal proceeding against any person who is or was a Judge for any act, thing or word committed, done or spoken by him when, or in the course of, acting or purporting to act in the discharge of his official or judicial duty or function.
(2) Nothing in sub-sec (1) shall debar or affect in any manner the power of the Central Government or the State Government or the Supreme Court of India or any High Court or any other authority under any law for the time being in force to take such action (whether by way of civil, criminal, or departmental proceedings or otherwise) against any person who is or was a Judge. |
| Saving | 4 The Provision of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force providing for protection of Judge. |